न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/59/2023	2023/1	17.11.2023	10.01.2025

1– मनीराम पुत्र भूदर,
2– रामचन्द्र पुत्र भूदर,
3– मोहनलाल पुत्र भूदर,
4– रतीराम पुत्र भूदर,
5– रामखिलाडी पुत्र भूदर,
6– बलबीर पुत्र भूदर,
7– सन्ता पुत्री पुत्र भूदर जातियान अहीर निवासीगण ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– रामकिशन पुत्र बोदन,
2– सन्तरा पत्नी मोहन,
3– मनोहर पुत्र मोहन,
4– ओमप्रकाश पुत्र मोहन,
5– जगदीश पुत्र मोहन,
6– मन्जू पुत्री मोहन,
7– चन्द्रो बेवा रधुवीर,
8– पंकज पुत्र रधुवीर,
9– भूरिया पत्नी पूरण,
10– पप्पू पुत्र पूरण,
11– मोती पुत्र पूरण,
12– भगवती पुत्री पूरण,
13– शान्ती पुत्री पूरण,
14– उगन्ती पत्नी पप्पू,
15– दीपक पुत्र पप्पू,
16– नीलम पुत्री पप्पू,
17– राजकुमारी पुत्री पप्पू,
18– दुल्लीचन्द पुत्र किशन,
19– भगवान पुत्र किशन,

अति0जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

20– शीला पुत्री किशन,

21– सुरेश पुत्र किशन,

22– कान्ता पुत्री किशन,

23– अंगूरी बेवा चन्दगी,

24– हरिसिंह पुत्र चन्दगी,

25– समय सिंह पुत्र चन्दगी,

26– विशाल पुत्र चन्दगी,

27– सुनीता पुत्री चन्दगी,

28– लखनपाल पुत्र सीता,

29– धनवती पत्नी सुभाष,

30– सोनू पुत्र सुभाष,

31– विकम पुत्र सुभाष,

32– राकी पुत्री सुभाष,

33– चन्द्रो पुत्री सीता,

34– लुडडी पुत्री सीता,

35– असरफी बेवा रस्सू उर्फ बस्सू,

36– शादी पुत्र रस्सू,

37– धनवती बेवा मामचन्द,

38– राकेश पुत्र मामचन्द,

39– रविन्द्र पुत्र मामचन्द,

40– रेखा पुत्री मामचन्द,

41– पूनी पत्नी जुम्मा,

42– रामदयाल पुत्र जुम्मा,

43– गोपाल पुत्र जुम्मा,

44– बृजकिशोर पुत्र जुम्मा,

45– प्रेम पुत्री जुम्मा समस्त जातियान मेधवाल निवासीगण ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पोडेन्टान

46– कल्ली पत्नी धडसी,

47– कैलाशी पत्नी उम्माराम,

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

48– हरिराम पुत्र उम्माराम,

49– धनराज पुत्र उम्माराम,

50– डूंगाराम पुत्र धड़सी,

51– गुल्ला पुत्र धड़सी,

52– इमरती पुत्री धड़सी,

53– शतकला पुत्री धड़सी,

54– सोनम पुत्री मुगरीराम,

55– बाला पुत्री मुगरीराम,

56– तारा पुत्री मुगरीराम,

57– मेवा देवी पत्नी मुगरीराम,

58– सुरसन पुत्र मुगरीराम,

59– नरेश पुत्र मुगरीराम,

[redacted]– राजेन्द्र पुत्र मुगरीराम,

61– विक्रम पुत्र मुगरीराम,

62– धनवती पुत्री मुगरीराम समस्त जातियान मेधवाल निवासीगण ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनाक 26.06.1981 नामान्तकरण संख्या 361 वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री अशोक कुमार –वकील अपीलान्ट
02. श्री धीरसिंह चौधरी –वकील रेस्पोडेन्टान
02. श्री नरेश कुमार गोयल, प्रतापसिंह सैन –वकील रेस्पोडेन्टान

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 361 निर्णय दिनांक 26.06.1981 वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि दिनाक 24.06.1981 को पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया है,

जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

जिसे दिनाक 26.06.1981 को तहसीलदार मुण्डावर द्वारा स्वीकार किया गया है। दिनाक 24.06.1981 जिस दिन मृतक भूदर की वसीयत का नामान्तकरण भरा गया उस दिन भूदर जीवित था और जीवित व्यक्ति की ही विरासत दर्ज की गयी है, जबकि भूदर की मृत्यू की दिनाक 30.08.1993 को हुई है। तहत अदालत के द्वारा भूदर की मृत्यू के बाबत कोई जानकारी नही की गयी, न ही किसी पंच या पडोसियो से जानकारी की गयी बल्कि दर्ज शुदा नामान्तकरण को ही कैम्प में स्वीकार करने की अहम गलती की है। पटवारी हल्का द्वारा भी भूदर की मृत्यू के बाबत कोई जानकारी नही की बल्कि बोदन, चन्दर, सीता, रस्सू, जुम्मा से साज बाज होकर उनके नाम से विरासत दर्ज कर दी गयी। जबकि उक्त बोदन वगै0 भूदर के वारिसान भी नही है। ऐसी सूरत में उनके नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करना अपने आप में ही फर्जकारी साबित होता है। मृतक भूदर के मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान विधिक वारिसान है, और मृतक भूदर की विरासत प्राप्त की है, मृतक की समस्त चल, अचल सम्पत्ती पर काबिज है। ऐसी सूरत में अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के हितो पर कुठाराघात है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.06.1981 की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्टान को दिनाक 26.10.2023 को उस समय हुई जब असल रेस्पोडेन्टान ने गांव में कहा की उनके हक में नामान्तकण हो गया है। अब आराजीयात पर कब्जा करेगे, खातेदारी लेगे दीगर लोगो को मुन्तकिल करेगे। मुआवजा उठावेगे। जिस पर उसी दिन नकल का आवेदन पेश कर नकल हासिल की और वकील साहब से कानूनी सलाह ली जाकर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। न्यायहित में दिनाक 26.06.0981 से 26.10.2023 तक का समय कन्डोन किया जावे। तथा अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि विचाराधीन अपील में अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.06.1981 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 26.10.2023 को हुई है, जो गलत है। नामान्तकरण दर्ज होने के 42 वर्ष के बाद उसके आदेश के बारे में ज्ञान होना दर्ज किया है, जबकि अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान एक ही गांव के पडोसी है। जिनको विरासत नामान्तकरण की जानकारी विरासत दर्ज होते ही हो गयी थी, उसके बाद 42 वर्षो तक अपीलान्टान चुपचाप बेठे रहे सह सरासर गलत है। न्याय का प्राकृतिक सिद्वान्त है, कि विलम्ब के बारे में एक–एक दिन का कारण बताना होगा। अपीलान्टान ने अपनी अपील में 42 वर्षो के विलम्ब होने का कोई उचित कारण नही बताया है। 42 वर्षो से खोये हुये अधिकारो का झूठे प्रार्थना–पत्र से विलम्ब को किसी भी सुरत में कन्डोन नही किया जा सकता है। इस लिये अपीलान्टान द्वारा मिथ्या तथ्यो के आधार पर मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो किसी भी सुरत में स्वीकार फरमाये जाने योग्य नही है, अपील अपीलान्टान खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर नामान्तकरण संख्या 361 दिनांक 26.06.1981 के विरूद्व दिनाक 10.11.2023 को पेश की गयी है, जो 42 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। जो अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.06.1981 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 26.10.2023 को होना दर्शाया गया है। हम अपील का निस्तारण दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 के आधार पर न करते हुए, अपील में वर्णित तथ्यो पर गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते हैं। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्रष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि विवादित विरासत नामान्तकरण दिनाक 24.06.1981 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया है, जिसे दिनाक 26.06.1981 को तहसीलदार मुण्डावर द्वारा स्वीकार किया गया है। दिनाक 24.06.1981 जिस दिन मृतक भूदर की वसीयत का नामान्तकरण भरा गया उस दिन भूदर जीवित था, और जीवित व्यक्ति की ही विरासत दर्ज

उपजिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

12 भगवता पुत्रा पूरण

की गयी है, जबकि भूदर की मृत्यू की दिनाक 30.08.1993 को हुई है। तहत अदालत के द्वारा भूदर की मृत्यू के बाबत कोई जानकारी नही की गयी, न ही किसी पंच या पडोसियो से जानकारी की गयी बल्कि फर्ज शुदा नामान्तकरण को ही कैम्प में स्वीकार करने की अहम गलती की है। पटवारी हल्का द्वारा भी भूदर की मृत्यू के बाबत कोई जानकारी नही की बल्कि बोदन, चन्दर, सीता, रस्सू जुम्मा से साज बाज होकर उनके नाम से विरासत दर्ज कर दी गयी। जबकि उक्त बोदन वगै0 भूदर के वारिसान भी नही है। ऐसी सूरत में उनके नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करना अपने आप में ही फर्जकारी साबित होता है। मृतक भूदर के मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान विधिक वारिसान है, और मृतक भूदर की विरासत प्राप्त की है, मृतक की समस्त चल, अचल सम्पत्ती पर काबिज है। ऐसी सूरत में अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के हितो पर कुठाराधात है, तहत अदालत से प्राप्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 361 दिनाक 24.06.1981 वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर दर्ज किया जाकर दिनाक 26.06.1981 को स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार भूदर की विरासत बोदन, चन्दर वगै0 के नाम दर्ज किया गया है, अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में भूदर का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है, जिसमें भूदर का स्वर्गवास दिनाक 30.08.1993 को होना अंकित है, तहत अदालत द्वारा मृतक भूदर की विरासत 26.06.1981 को दर्ज की गयी है, वक्त निर्णय भूदर जीवत था, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.06.1981 विरासत का नामान्तकरण संख्या 361 दिनाक 24.06.1981 वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर दर्ज कर निर्णित किया गया है, जो न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, की अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.06.1981 नामान्तकरण संख्या 361 वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/01/25

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)